रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2019/ज्येष्ठ 22, 1941
No. 07] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2019/JYAISTHA 22, 1941

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

का.नि.आ. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41, उपधारा (2) खण्ड (ड.) के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, उप नियंत्रक लेखा, लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी और सशस्त्र बल अधिकरण में कनिष्ठ लेखाकार पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण (लेखा संवर्ग पद), भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होनाः** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर. –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और **वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह** होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**–भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **सेवा शर्तेः** केन्द्रीय सरकार अधिकरण के ऐसे अधिकारियों के लिए जो समूह 'क' और 'ख' के अधीन आते हैं, पदों के लिए सेवा शर्तें, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवार्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं और अन्य सेवा शर्तें ऐसे नियमों से विनियमित होंगे जो कि यथा समय लागू होंगी ।

6. **निरर्हता** –वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति** –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (रु. 123100-215900)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नतिः	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के संगठित लेखासंवर्ग के ऐसे अधिकारी जोः (i) नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण करते हों, या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रु. 78800-209200) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** 1 :वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700) विभागीय उप नियंत्रक लेखा जो उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ बाहरी व्यक्तियो पर भी विचार किया जाएगा। यदि इस पद पर विभागीय अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाती है तब यह माना जाएगा कि वह प्रोन्नति के द्वारा भरी गयी है। **टिप्पण** 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 3 :प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप नियंत्रक लेखा	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
(i) प्रोन्नतिः ऐसे लेखा अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1424000) में सशस्त्र बल अधिकरण की किसी पीठ में उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण –अध्यक्ष (2) सशस्त्र बल अधिकरण के न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य	लागू नहीं होता।

सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के संगठित लेखा संवर्ग के ऐसे अधिकारी, : (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण किया हुआ है, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** :पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल अधिकरण प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** 2 :प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 3 :प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामित) - सदस्य (3) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी–सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण –अध्यक्ष (2) सशस्त्र बल अधिकरण के न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य (अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामित) –सदस्य (3) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी–सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. लेखा अधिकारी	2* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400)	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400-112400) में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में किसी भी सशस्त्र बल अधिकरण की पीठ में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।

है। **टिप्पण** :जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	निम्नलिखित होंगे:- (i) सशस्त्र बल अधिकरण के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य (सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित) –**अध्यक्ष** (ii) प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण– **सदस्य** (iii) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या उप लेखा नियंत्रक–सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	13* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह , 'ख' अराजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400-112400)	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः ऐसे कनिष्ठ लेखाकार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (रु. 29200-92300) में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** 1 :जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) न्यायिक या सशस्त्र बल अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य (सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित) **–अध्यक्ष** (2) प्रमुख रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार –सदस्य	लागू नहीं होता।

उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अ. प्रतिनियुक्ति पनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **2. प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी, : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण किया हुआ है, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ एवं लेखाकार्य या मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ले चुके हों और रोकड़ लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो । **टिप्पण** 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल अधिकरण प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण** 3 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** 4 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	(3) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या लेखा उप नियंत्रक – सदस्य समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) न्यायिक या सशस्त्र बल अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य (सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित) -अध्यक्ष (2) प्रमुख रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार – सदस्य (3) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या लेखा उप नियंत्रक - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. कनिष्ठ लेखाकार	11* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (रु. 29200-92300)	लागू नहीं होता ।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पच्चीस वर्ष । **टिप्पण** 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पणी:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष

सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** 2 :आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पणः** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।				या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किए हुए है, या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (रु. 25500-81100) में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो, और (ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी–अध्यक्ष (2) संयुक्त रजिस्ट्रार -सदस्य (3) उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 4(1)/2010-डी (ए.एफ.टी.सी)]

म. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2019

S.R.O. 11(E). – In exercise of the powers conferred by section 13 read with clause (e) of sub-section (2) of section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, Deputy Controller of Accounts, Accounts Officer, Junior Accounts Officer and Junior Accountant in the Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence, namely:-

1 Short title and commencement.-- (1). These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Account Cadre Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Application.-- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3 Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.- The number of the said posts, their classification, and the level in pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4 Methods of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5 Conditions of Service. - The conditions of service of the said posts of the Tribunal, the manner of allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules as are for the time being applicable to officers belonging to Group 'A' or Group 'B' posts, as the case may be, of the Central Government of the corresponding level in pay matrix.

6 Disqualification. - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7 Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8 Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix or pay scale.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Financial Adviser and Chief Accounts Officer.	One* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation grades from which promotion or deputation to be made.**	**If a departmental promotion committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation/Promotion.	**Deputation/Promotion**: Officer of the organised accounts cadre of the Central Government; (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200). **Note** 1: The Departmental Deputy Controller of Accounts in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with ten years of regular service in the grade is considered along with outsiders. If the Departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note** 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years. **Note** 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Controller of Accounts.	One* (2019) *Subject to variation in workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion, failing which by deputation.	**Promotion**: Accounts Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-142400) in any Bench of the Armed Forces Tribunal with seven years regular service in the grade. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairperson, Armed Forces Tribunal —**Chairperson;** 2. Judicial or Administrative Member Armed Forces Tribunal (Nominated by Chairperson, Armed Forces Tribunal) —**Member;** 3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer —**Member.**	Not applicable.

	service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors which have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: Officer of the organised Accounts cadre of the Central Government: (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500). **Note 1**: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion channel. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note** 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chairperson, Armed Forces Tribunal- —**Chairperson;** 2. Judicial or Administrative Member Armed Forces Tribunal (Nominated by Chairperson, Armed Forces Tribunal) —**Member;** 3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer —**Member.**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Accounts Officer.	Two* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion.	**Promotion:** Junior Accounts Officer in any Bench of the Armed Forces Tribunal in the level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Judicial or Administrative Member, Armed Forces Tribunal (Nominated by Chairperson, Armed Forces Tribunal) —**Chairperson;** 2. Principal Registrar, Armed Forces Tribunal or Registrar, Armed Forces Tribunal — **Member;** 3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer or	Not applicable.

	of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors which have already completed such qualifying or eligibility service.	Deputy Controller of Accounts —**Member.**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Junior Accounts Officer.	Thirteen* (2019) *Subject to variation in workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

(10)	(11)	(12)	(13)
Fifty per cent by promotion failing which by deputation and fifty per cent by deputation.	1. **Promotion**: Junior Accountant in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade. **Note** 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors which have already completed such qualifying or eligibility service. 2. **Deputation**: Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) rendered after appointment thereto on regular basis, and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or an equivalent course from a recognised institute and having two years experience of cash accounts and budget work. **Note** 2: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Judicial or Administrative Member Armed Forces Tribunal (Nominated by Chairperson, Armed Forces Tribunal)–**Chairperson;** 2. Principal Registrar or Registrar - **Member;** 3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer or Deputy Controller of Accounts - **Member.** Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Judicial or Administrative Member, Armed Forces Tribunal (Nominated by Chairperson, Armed Forces Tribunal)–**Chairperson;** 2. Principal Registrar or Registrar - **Member;** 3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer or Deputy Controller Accounts - **Member.**	Not applicable.

	deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note** 3: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note** 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Junior Accountant.	Eleven* (2019) *Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Twenty-five years. **Note** 1: Relaxable for Government servantsupto forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedules Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note** 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Bachelor's degree from a recognised University.	Not applicable.	Two years.

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment. **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Financial Adviser and Chief Accounts Officer —**Chairman;** 2. Joint Registrar —**Member;** 3. Deputy Registrar or Assistant Registrar —**Member.**	Not applicable.

[F. No. 4(1)/2010-D(AFTC)]

M. SUBBARAYAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.17 18:24:49 +05'30'